न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या —52 / 2019 (अपील)

1. मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर, मोड़क तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा, जरिये एन0के0 माहेश्वरी उपमहाप्रबन्धक, कार्मिक एवं प्रशासन एवं फैक्टरी मैनेजर एवं अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर, मौड़क जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. जमनालाल आत्मज श्री मन्ना जी
2. राममूर्ति पुत्री मन्ना जी
3. रतन बाई पुत्री मन्ना जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम गून्दी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

———रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 26.7.2016 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी

उपस्थिति

श्री. नरेन्द्र कुमार गुप्ता,, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 07.01.020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2016 ग्राम गणेशपुरा खुर्द स्थित भूमि ख0नं0 100 रकबा 1.31 गैर खातेदारी भूमि आवंटी जमनालाल पुत्र मन्नालाल, राममूर्ति व रतनबाई पुत्री मन्नालाल जाति कुम्हार को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 18.07.2017 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी ने ग्राम गणेशपुरा खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 100 की 1.31 हे0 भूमि पर रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम गणेशपुरा खुर्द की खसरा नम्बर 30 की 8 बीधा 1 बिस्वा भूमि पूर्व में मन्ना उर्फ मन्नालाल आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गून्दी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की गैर

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

खातेदारी में दर्ज थी । गैर खातेदार मन्ना का स्वर्गवास हो चुका है । रेस्पो0 1 लगायत 3 उनके पुत्र पुत्रियां होने से उत्तराधिकारी है । वर्तमान सेटलमेंट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 100 रकबा 1.31 हे0 कायम हुआ है । उपरोक्त भूमि अपीलान्ट मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड आदित्य नगर मोडक के खनन क्षैत्र में आती है । राज्य सरकार द्वारा ग्राम सातलखेडी, बुधखान, गणेशपुरा खुर्द वगै0 9 राजस्व ग्रामों की भूमि जो 895.42 हे0 क्षैत्र में स्थित है । अपीलान्ट को लाइम स्टोन खनन कार्य हेतु सन 1976 में स्वीकृत की गयी थी । राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त लीज की अवधि समय समय पर विस्तारित होती रही है । वर्तमान में लीज खनन पट्टे की अवधि दिनांक 31.3.2030 तक प्रभावशील है । गैर खातेदार मन्ना उर्फ मन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गून्दी ने स्वेच्छा एवं आपसी सहमति से अपीलान्ट मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड से मुआवजा राशि लेकर उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट को खनन कार्य करने की स्वीकृत देकर अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि का कब्जा सम्भला दिया था । तथा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.12.1991 को गवाहान की उपस्थिति में सहमति पत्र निष्पादित कर दिया था एवं मुआवजा राशि जरिये चैक प्राप्त कर अपीलान्ट के पक्ष में रसीद निष्पादित कर दी थी । उक्त कारण से मन्ना जी के उपरोक्त भूमि पर समस्त हक हकूक समाप्त हो गये थे । मन्ना जी के स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 ने तथ्यों को छिपा कर एवं गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त भूमि तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु कार्यवाही की । तहसीलदार सा0 रामगंजमण्डी द्वारा हुक्म जैर अपील पारित कर उपरोक्त भूमि पर रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है । हुक्म जैर अपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है , अपीलान्ट हुक्म जैर अपील से व्यथित पक्षकार होने के कारण यह अपील प्रस्तुत करता है । पत्रावली अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का आदेश फरमाया जावें । हुक्म जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 27.6.2017 को पटवारी हल्का द्वारा हुक्म अपील के बाबत बतलाने हुई । सर्व प्रथम जानकारी होने पर अपीलान्ट ने मालूमात कर हुक्म जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.7.2017 को प्राप्त होने पर प्रथम जानकारी की तारीख दिनांक 27.6.2017 से हुक्म जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन को मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से श्री परवेज आलम एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ । दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित । रेस्पोडेन्ट व वकील रेस्पोडेन्ट पूर्व में निरन्तर अनुपस्थित रहने से तथा वकील रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट को पर्याप्त मौके दिये जाने उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम गणेशपुरा खुर्द की खसरा नम्बर 30 की 8 बीधा 1 बिस्वा भूमि पूर्व में मन्ना उर्फ मन्नालाल आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गून्दी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की गैर खातेदारी में दर्ज थी । गैर खातेदार मन्ना

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

का स्वर्गवास हो चुका है । रेस्पो0 1 लगायत 3 उनके पुत्र पुत्रियां होने से उत्तराधिकारी है । वर्तमान सेटलमेंट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 100 रकबा 1.31 हे0 कायम हुआ है । उपरोक्त भूमि अपीलान्ट मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड आदित्य नगर मोडक के खनन क्षैत्र में आती है । राज्य सरकार द्वारा ग्राम सातलखेडी, बुधखान, गणेशपुरा खुर्द वगै0 9 राजस्व ग्रामों की भूमि जो 895.42 हे0 क्षैत्र में स्थित है । अपीलान्ट को लाइम स्टोन खनन कार्य हेतु सन 1976 में स्वीकृत की गयी थी । राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त लीज की अवधि समय समय पर विस्तारित होती रही है । गैर खातेदार मन्ना उर्फ मन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गून्दी ने स्वेच्छा एवं आपसी सहमति से अपीलान्ट मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड से मुआवजा राशि लेकर उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट को खनन कार्य करने की स्वीकृत देकर अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि का कब्जा सम्भला दिया था । तथा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 13.12.1991 को गवाहान की उपस्थिति में सहमति पत्र निष्पादित कर दिया था एवं मुआवजा राशि जरिये चैक प्राप्त कर अपीलान्ट के पक्ष में रसीद निष्पादित कर दी थी । उक्त कारण से मन्ना जी के उपरोक्त भूमि पर समस्त हक हकूक समाप्त हो गये थे । मन्ना जी के स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 ने तथ्यों को छिपा कर एवं गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त भूमि तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु कार्यवाही की । तहसीलदार सा0 रामगंजमण्डी द्वारा हुक्म जैर अपील पारित कर उपरोक्त भूमि पर रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है । हुक्म जैर अपील से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.7.2016 निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2017 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई न्यायिक दृष्टान्त या उद्वरण पेश नहीं किया है, जिससे अपील मियाद बाहर मानी जाए । अतः अपील पेश करने में हुआ विलम्ब, जानकारी के अभाव में हुआ है, अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 27.06.2017 से अपील पेश करने की दिनांक 18.07.2017 तक का समय क्षम्य योग्य होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कन्डोन करते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. द्वारा ग्राम गणेशपुरा खुर्द की खसरा नम्बर 30 की 8 बीधा 1 बिस्वा भूमि पूर्व में मन्ना उर्फ मन्नालाल आत्मज नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गून्दी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की स्वेच्छा एवं आपसी सहमति से मुआवजा राशि लेकर खनन कार्य हेतु अपीलान्ट को स्वीकृति दी गई थी, मन्ना की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि रेस्पोडेन्टगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार तहसीलदार रामगंजमण्डी से प्राप्त किये गये, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी देने में हम कोई दौष नहीं मानते है तथा उक्त भूमि

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी में दर्ज होने से अपीलान्ट का कोई हक प्रभावित नहीं होता है । साथ ही हम यह भी मानते है कि जब गैर खातेदार मन्ना उर्फ मन्नालाल द्वारा अपनी सहमति से मुआवजा लेकर खनन कार्य हेतु उक्त भूमि मंगलम सीमेंट को सिपुर्दगी में दी हुई है तो उक्त भूमि पर पूर्व की सहमति अनुसार मंगलम सीमेन्ट का यथावत कब्जा रखने व खनन कार्य के हकदार है तथा जमाबंदी में नोट रहेगा । हमने प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी से भी रेकार्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिससे जाहिर होता है कि ग्राम गणेशपुरा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा हाल ख0नं0 100 रकबा 1.31 हे0 पर मंगलम सीमेन्ट लि0 मोडक की माईन्स की लीज लाईन डली हुई है तथा राजस्व रेकार्ड में तुलसीबाई पत्नि शोला बंजारा के नाम दर्ज होना बताया है । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि मंगलम सीमेन्ट लि0 मोडक खनन कार्य हेतु दी जाने उपरान्त भी केता को जानकारी होते हुए भी यह जमीन कय की गई है । अतः हम यह मानते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी देने के आदेश से अपीलांट का कोई हक प्रभावित नहीं होगा तथा जमाबंदी में पूर्व में मन्ना जी से हुई सहमति अनुसार खनन कार्य का नोट लगा रहेगा तथा अपीलांट मंगलम सीमेन्ट खनन कार्य करने के लिए स्वतंत्र मानते है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी देने के आदेश दिनांक 26.7.2016 यथावत रखा जाता है । उक्त आदेश से अपीलांट का कोई हक प्रभावित नहीं होगा तथा पूर्व में मन्नालाल से दिनांक 13.12.1991 को जर्ये इकरारनामा के हुई सहमति अनुसार जमांबंदी में खनन कार्य का नोट लगा रहेगा तथा अपीलांट मंगलम सीमेन्ट खनन कार्य करने के लिए स्वतंत्र मानते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा राजस्थान

Scanned by CamScanner